<u>प्रेस नोट दिनांक 23.02.2025</u>

<u>थाना सीबीगंज जनपद बरेली।</u>

<u>थाना सीबीगंज #bareillypolice द्वारा वादी के मौसेरे भाई के घर मे घुसकर मारपीट व जान से मारने की नीयत से चाकू से वार करने वाले अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।</u>

दिनांक 17/18.02.2025 की रात्रि में मजरुब लीलाधर पुत्र रामलाल नि0 ग्राम पस्तौर थाना सीबीगंज जिला बरेली समय 01.23 बजे पर थाना उपस्थित आये और अवगत कराया कि लडाई झगडे में चोट आयी है, मेडिकल परीक्षण कराना चाहते है, लेकिन यह नहीं बताया कि उन पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया है और तहरीर बाद में देने की बात कहकर मजरुबी चिट्टी लेकर जिला अस्पताल चले गये। यह पूछने पर कि झगडा किससे हुआ है यह भी नही बताया। दिन में दिनांक 18.02.2025 को मजरुब के मौसेरे भाई नत्थूलाल पुत्र केवलराम नि0 ग्राम पस्तौर थाना सीबीगंज जिला बरेली ने थाना उपस्थित आकर अवगत कराया कि 02 अज्ञात लोगों के द्वारा रात्रि में घर में घुसकर उनके मौसेरे भाई लीलाधर पर जान से मारने की नीयत से चाकू से हमला कर घायल कर दिया। इस संबंध में थाना सीबीगंज पर मु0अ0स0 87/2025 धारा 331(7)/118(1)/109 BNS बनाम दो अज्ञात व्यक्ति पंजीकृत किया ।

इसके उपरांत घायल के पुत्र राकेश ने दिनांक 18.02.2025 को शाम के समय तहरीर दी कि उसके पिता लीलाधर ने बताया है कि उनके ऊपर रामसिंह उर्फ पप्पू पुत्र सुखलाल नि0 ग्राम पस्तौर थाना सीबीगंज जिला बरेली ने दो अज्ञात व्यक्तियो के साथ चाकू से जानलेवा हमला किया था । रामसिंह से पूछताछ की गयी तो बताया कि दिनांक 17/18/02.2025 की रात मे करीब 12.30 बजे वह घर से अपने बाग मे सोने जा रहा था तो लीलाधर के कमरे में शोर हो रहा था । वह रुका तो दो व्यक्ति कमरे से निकलकर भागे जो लीलाधर के भतीजे 01. राजेश पुत्र बुद्धि 02 छोटे पुत्र केदार निवासी गण ग्राम पस्तोर पुरानी होली के पास थाना सीबी गंज जनपद बरेली थे, जिनको मैंने पहचना लिया था, लेकिन जब लीलाधर ने उन्हे पहचानते हुये भी उनका नाम नहीं लिया तो मैंने भी दुश्मनी के कारण किसी को नहीं बताया क्योंकि उनके घर का मामला था। इसके उपरांत घटनास्थल पर हमलावरो की छूटी हुयी बरामद लाल रंग की चप्पल की पहचान करायी गयी तो अभियुक्त राजेश के मोबाइल फोन में उसकी बहन खडी है जिसमे उसके बराबर वही लाल रंग की चप्पल रखी है जिसकी वीडियो की स्क्रीशॉट अभियुक्त राजेश के मोबाइल फोन में मौजूद थी। जिसके बाद अभियुक्त राजेश को दिखाई गयी तथा घटना के समय के गवाह रामसिंह से आमना सामना कराया गया तो अभियुक्त राजेश द्वारा घटना को अपने चचेरा भाई छोटे के साथ कारित करना स्वीकार करते हुये दिनांक 16.02.2025 को अभियुक्त लीलाधर के पुत्र राकेश द्वारा अपने पिता लीलाधर की हत्या करने को सौदा 30,000 रुपये मे तय होना बताया।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक सीबीगंज के नेतृत्व में थाना सीबीगंज पुलिस टीम द्वारा दिनांक 23.02.2025 को मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त 1. राजेश पुत्र बुद्धि 02. छोटे पुत्र केदार निवासी गण ग्राम पस्तोर पुरानी होली के पास थाना सीबीगंज जनपद बरेली को एक तंमचा 315 बोर, एक कारतूस 315 बोर जिंदा व एक चाकू नाजायज व 5000 रुपयों के साथ रेलवे सेक्शन सीबीगंज के पश्चिम साइड में पार्क के किनारे से गिरफ्तार किया गया तथा मुकदमा उपरोक्त में 61(2) बीएनएस व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व 4/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की गयी।

पूछताछ –

अभियुक्तगण राजेश व छोटे ने पूछंताछ पर बताया कि लीलाधर रिश्ते में हमारे ताऊ लगते हैं तथा लीलाधर के पुत्र राकेश के साथ हमारे अच्छे सम्बन्ध हैं। हमारे ताऊ लीलाधर के पास खेती की जमीन है और करीब 15-20 वर्षों से उनके करीबी सम्बन्ध अपने पडोस में ही एक महिला से थे। ताऊ लीलाधर एवं पड़ोस की महिला के सम्बन्धों से उन्हें एक पुत्र भी हैं, जिसकी चर्चा हमारे होने पूरे गांव में है। लीलाधर इस महिला पर खूब खर्च भी करते है। लीलाधर के पुत्र राकेश को ये बाते पहले से ही पता हैं और अपने पिता लीलाधर द्वारा महिला एवं उनके परिवार पर किये खर्चो की जानकारी भी है। इसी बात को लेकर राकेश अपने पिता से पूर्व में कई बार झगड़ भी चुका था। अब जबकि उस महिला का पुत्र बड़ा हो रहा है तो राकेश को लगा कि उसके पिता खेती की जमीन भी कहीं उस महिला के पुत्र के नाम न कर दे। अभी राकेश इकलौता है, अगर उसके पिता द्वारा जमीन अपने सम्बन्धों से पैदा हुए पुत्र को दी जाती है तो जमीन बँट जाती। इसी आंशका को देखते हुये राकेश नें हम लोगों से अपने पिता लीलाधर को मारने के लिये कहा और 30000/- रू0 भी देनें की बात कही। हम भी आर्थिक रूप से परेशान चल रहे थे तो 30000/- रू0 के बदले ताऊ लीलाधर की हत्या को अंजाम देने के लिए हम तैयार हो गये थे। इस काम में हम दोनों (राजेश और छोटे) के मध्य यह तय हुआ था कि ताऊ लीलाधर की हत्या कर 15 -15 हजार रूपये आपस मे बाँट लेगें। इसी नीयत से दिनांक 17/18.02.2025 की रात को हम दोनों ताऊ लीलाधर की हत्या करने उनके कमरे में गये थे। राजेश ने बताया कि मेरे पास 315 बोर का तमंचा व 2 कारतूस थे और छोटे के पास चाकू था। मैनें जैसे ही अपने तमंचे से फायर करने के लिये ताऊ पर तमंचा लगाया तो ताऊ जाग गये और मेरा हाथ पकड़ लिया। छीनाछपटी में कट्टे से कारतूस निकलकर नीचे गिर गया तो छोटे ने अपने चाकू से लीलाधर पर जानलेवा वार करना शुरु कर दिया। लीलाधर ने चीखपुकार मचाई तभी हम दोनों को बाहर सड़क पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी तो हम भाग निकले। लीलाधर के कमरे से निकलते ही बाहर सड़क पर राम सिह खड़े थे, जिन्होनें हम लोगो को देख लिया था। शोर से जागकर कुछ लोग हमारे पीछे भी आये थे। हमने भागकर अपने तमंचा व चाकू छिपा दिये थे। हम लीलाधर के पुत्र राकेश द्वारा दिये गये 30 हजार रूपयों के लालच में आ गये थे।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-</u>

1. राजेश पुत्र बुद्धि नि0 ग्राम पस्तोर पुरानी होली के पास थाना सीबीगंज जनपद बरेली।
2. छोटे पुत्र केदार निवासी ग्राम पस्तोर पुरानी होली के पास थाना सीबीगंज जनपद बरेली।

<u>आपराधिक इतिहासः- अभियुक्त राजेश उपरोक्त</u>

1. मु0अ0स0 87/2025 धारा 331(7)/118(1)/109/61(2) BNS व 3/25 आर्म्स एक्ट व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सीबीगंज जिला बरेली।

<u>आपराधिक इतिहासः- अभियुक्त छोटे उपरोक्त</u>

1. मु0अ0स0 87/2025 धारा 331(7)/118(1)/109/61(2) BNS व 3/25 आर्म्स एक्ट व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सीबीगंज जिला बरेली।

बरामदगी-

1. एक तंमचा 315 बोर
2. एक कारतूस 315 बोर जिंदा
3. एक चाकू नाजायज
4. 5000 रुपये

<u>पुलिस टीम-</u>

1. प्रभारी निरीक्षक सुरेश चन्द्र गौतम थाना सीबीगंज जनपद बरेली।
2. उ0नि0 श्री धर्मवीर सिंह थाना सीबीगंज बरेली।
3. उ0नि0 श्री संजय सिंह थाना सीबीगंज बरेली ।
4. हे0का0 953 रुपेन्द्र कुमार थाना सीबीगंज बरेली।
5. हे0का0 04 प्रताप सिंह थाना सीबीगंज बरेली।
6. का0 1162 जफरयाब अली थाना सीबीगंज बरेली।
7. म0का0 1465 ज्योति थाना सीबीगंज बरेली।